न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

बईजलास श्री महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या (182/2005) 304/2010 दायर तारीख (24.10.2005) 29.04.2010

अनवान

01. गन्नी खां उर्फ अब्दुलगनी पिता मुन्दू उर्फ महमूद जाति हेला मुसलमान उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. खाजू खां पुत्र मेन्दू उर्फ महमूद जाति हेला उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. चान्दीबाई पुत्री महमूद जाति हेला उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी बड़ोदिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. पुष्पा पत्नी उदा जाति कराड़ उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी जलीन्द्री तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) (मृतक)
   2.1 छीतर पुत्र उदा जाति कराड़ व्यवसाय खेती निवासी जलीन्द्री तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
   2.2 सीताराम पुत्र उदा जाति कराड व्यवसाय खेती निवासी जलीन्द्री तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य – विद्वान अधिवक्ता वादीगण
2. श्री ओमप्रकाश शर्मा – विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 के उत्तराधिकारी की ओर से

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 17/12/2020

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण द्वारा उक्त वादपत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि महमूद पिता महताब जी हेला (मुसलमान) निवासी बिजौलियां की वादीगण एवं प्रतिवादीया नम्बर 1 संताने हैं स्वं महमूद जी कि मृत्यु 20 वर्ष पूर्व हो चुकी हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीया क्रमांक एक जाति से मुस्लिम होने के कारण उनके सम्पति के हक तय करने के संबंध में उन पर मुस्लिम विधि जो कि उनकी व्यक्तिगत विधि हैं लागू होती हैं। चूकि मुस्लिम विधि में संपति में हकों की व्यवस्था उत्तरोतर निर्धारित सारणी के क्रमानुसार दी हुयी हैं ऐसी स्थिति में वादीगण स्व. महमूद जी के पुरूष वारिस होने से वरियता क्रम में प्रतिवादीया क्रम एक से उच्चस्तर की प्राथमिकता प्राप्त है मुस्लिम पुरूष के पुरूष संतान नही होने कि स्थिति में स्त्री संतान की जायदाद में हक प्राप्त होते हैं ऐसी स्थिति में प्रतिवादीया क्रम एक को स्व. महमूद जी द्वारा अपने पीछे छोड़ी गयी किसी भी प्रकार की संपति में कोई अधिकार प्राप्त नही होते हैं। मुस्लिम विधि में पुश्तैनी जायदाद की धारणा नही होती है ऐसी स्थिति में मृतक के द्वारा अपने पीछे छोडी गयी जायदाद में उसके निकटमत वरियता प्राप्त पुरूष संतान की बराबर के हक जायदाद में प्राप्त होते हैं। स्वं महमूद जी के एकल स्वामित्व व कब्जे की जायदाद कृषि भूमि मौजा जलीन्द्री में स्थित हैं। आराजी खसरा नम्बर 957, रकबा 2 बिस्वां गे.मू. चाह एवं आराजी खसरा नम्बर 958 रकबा 8 बीघा 07 बिस्वां कुल किता 2 रकबा 8 बीघा 09 बिस्वां में वादी क्रम एक का 1/2 हिस्सा व वादी क्रम 2 का 1/2 हिस्सा है। वादीगण के अतिरिक्त अन्य किसी का कोई हिस्सां वादग्रस्त जायदाद में नही हैं। प्रतिवादी क्रम एक ने बिना किसी वैध अधिकार व कब्जे के स्वं महमूद जी की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी नम्बर 3 के राजस्व कर्मचारियों के साथ कुसंयोजन कर सम्पूर्ण कृषि खातेदारी भूमि को अपने नाम पर करवा लिया व वादीगण को जानकारी होने दिये बिना ही उनके नाम पर खोले जाने वाले नामान्तरकरण में हेरा फेरा करवा दी। इस प्रकार प्रतिवादीया नम्बर एक वर्तमान में

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

वादग्रस्त जायदाद की विधि विरूद्ध खातेदारी राजस्व अभिलेखों में बनी हुयी हैं। प्रतिवादी नम्बर एक ने अपनी विधि विरूद्ध व अवास्तविक कागजी खातेदारी का बेजा लाभ उठा वादीगण के बिना जानकारी में आने दिये एक अवैध एवं मूलतः शून्य प्रभावी विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 10.10.05 को प्रतिवादीया क्रम. दो को वादग्रस्त जायदाद विक्रय कर देने की जानकारी हुयी हैं। चूकि प्रतिवादीया नम्बर एक वादग्रस्त जायदाद में कोई अधिकार व कब्जा ही नहीं रखती हैं तो प्रतिवादीया नम्बर एक द्वारा अपनी अवैध तरीके से प्राप्त कागजी खातेदारी के आधार पर जिस प्रकार का अवैध विक्रय पत्र प्रतिवादीया नम्बर दो के पक्ष में निष्पादन किया गया हैं। उससे प्रतिवादीया नम्बर दो को न तो वादग्रस्त जायदाद में कोई– खातेदारी प्राप्त हुयी एवं न ही कब्जा प्राप्त हुआ हैं। प्रतिवादीया नम्बर एक को यह जानकारी हैं कि उसके द्वारा वादग्रस्त जायदाद में प्राप्त की गयी खातेदारी विधि विरूद्ध एवं राजस्व रेकॉर्ड में हेरा फेरी कर प्राप्त की गयी है जिसको कभी भी वादीगण की जानकारी होते ही खारिज करवाया जा सकता हैं इसलिये प्रतिवादी नम्बर एक ने जायदाद को विवाद में डालने के लिये प्रतिवादीया नम्बर दो को एक अवैध विक्रय के माध्यम से अन्तरित कर दिया चूकि प्रतिवादीया नम्बर एक की खातेदारी प्रारम्भ से ही शून्य व विधि विरूद्ध है इसलिये प्रतिवादीया नम्बर दो के पक्ष का विक्रय पत्र वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नही रखता हैं। वादीगण ने प्रतिवादीया नम्बर एक अथवा दो दोनों की ही खातेदारी समाप्त करवायी जाकर वादीगण को वादग्रस्त जायदाद की खातेदारी प्रदान किया जाना कानून सम्मत एवं आवश्यक हैं। वादीगण के पिता स्व. महमूद की मृत्यु के पश्चात वादीगण के अधिकार निहित हो चुके है एवं वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी को किसी प्रकार से कब्जे सहित किसी के हक में त्याग नहीं किया गया हैं। एवं न ही अन्तरण किया गया हैं। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त जायदाद के उपयोग उपभोग व खातेदारी में रखने का उनका वैधानिक अधिकार हैं। वादीगण को दिनांक 03.10.05 को जलीन्द्री जाने पर यह जानकारी मिली की वादीगण की जायदाद को प्रतिवादीया नम्बर एक बेच रही हैं तब वादीगण ने राजस्व अभिलेखों की जानकारी ली तो पता लगा कि सारी जायदाद अकेली प्रतिवादीया नम्बर एक के नाम पर हैं। वादीगण ने राजस्व अभिलेखों की दूरस्ती कराने हेतु राजस्व अभिलेखों के प्राप्ति के आवेदन किये तब तक प्रतिवादीया नम्बर एक को वादीगण की कार्यवाही की जानकारी होने पर उसने दिनांक 10.10.05 को जायदाद प्रतिवादीया नम्बर दो को बेच दी। प्रतिवादीया नम्बर 1 व 2 वादीगण को धमकी दे रही हैं कि वादीगण का वादग्रस्त जायदाद से कोई संबंध नही हैं। इसलिए न वादीगण वादग्रस्त जायदाद पर जाने एवं न ही काश्त बुआई का प्रयास करें अन्यथा प्रतिवादीया नम्बर 1 व 2 वादग्रस्त जायदाद को कृषि योग्य स्थिति में नहीं रखा उसके वर्तमान स्वरूप को नष्ट कर देगें। प्रतिवादीया नम्बर 1 व 2 के इस कृत्य से बिनायदावा उत्पन्न हो सतत रूप से जारी हैं। वादीगण ने अनुतोष चाही कि मौजा जलीन्द्री स्थित कृषि खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 957 रकबा 2 बिस्वां गे.मू. चाह व खसरा नम्बर 958 रकबा 8 बीघा 07 बिस्वां कुल किता 2 रकबा 8 बीघा 09 बिस्वां को प्रतिवादीया क्रमांक 1 की खातेदारी से हटायी जाकर वादीगण की खातेदारी में अभिलिखित किये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमायी जावे व प्रतिवादीया नम्बर दो के खाते में दौराने प्रकरण वादग्रस्त जायदाद दर्ज हो जाने की स्थिति में उसकी खातेदारी समाप्त करायी जावें। एवं वादीगण को वादग्रस्त जायदाद का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें। प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 को वादीगण के कब्जे व स्वामित्व की वादग्रस्त जायदाद से अतिचार नही करने भूमि को नष्ट प्रायः नही करने वादीगण को वादग्रस्त जायदाद पर काश्त करने से नही रोकने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गयी।

प्रतिवादिया श्रीमती पुष्पा पत्नी स्व. उदा कराड़ नि0 जलीन्द्री की ओर से प्रति वादपत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 जा0दी0प्रस्तुत किया कि –

वादपत्र की कलम नं0 1 नितान्त असत्य निराधार मनगढन्त होने से अस्वीकार हैं। यह गलत है कि महमूद पिता महताब हेला नि0 बिजौलियां के वादीगण संतान एवं महमूद पिता महताब की मृत्यु 20 वर्ष पूर्व होना स्वीकार हैं। महमूद पिता महताब की एकमात्र संतान प्रतिवादिया चांदीबाई हैं। वादीगण ने स्व0 महमूद की कृषि भूमि को हड़पने के लिए हल्का पटवारी और ग्राम पंचायत के फर्जी दस्तावेज तैयार कराए है जो साक्ष्य में ग्राहय नहीं हैं। काश्तकारों की वंशावली हल्का पटवारी और ग्राम पंचायत के पास

लगातार पेज संख्या 03 पर

बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

न तो होती है न ही उन्हे रखने का अधिकार हैं। हल्का पटवारी और ग्राम पंचायतों को वंशावली सम्बन्धित प्रमाणपत्र देने का कोई वैधानिक आधार नही हैं। वादीगण महमूद पिता महताब की संताने नही हैं। महमूद की सम्पति में वादीगण को किसी प्रकार का वैधानिक अधिकार नही हैं। वादपत्र लाने की लोकस स्टेन्डी नही हैं। वादपत्र पोषणीय नही होने से चलने योग्य नहीं हैं।

वादपत्र की कलम नं0 2 अस्वीकार हैं। वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 की वंशावली से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। वादीगण महमूद पिता महताब के पुत्र नहीं हैं। महमूद के पुत्र संतान नही होने से प्रतिवादीयां नं0 1 एकमात्र स्व0 महमूद की पुत्री होकर उत्तराधिकारी हैं। यह गलत है कि मुस्लिम विधि के अनुसार प्रतिवादी नं0 1 को कोई अधिकार नही हुए हैं। पुरूष संतान मुस्लिम विधि के अनुसार विधि अनुसार अंश प्राप्त करने के बाद में अवशेष हिस्से के हकदार होते हैं। वादीगण महमूद के पुत्र नही होने से मुस्लिम विधि के अनुसार ही चांदी ही एकमात्र वारिस हैं।

वादपत्र की कलम नं0 3 अस्वीकार हैं। मृतक महमूद पिता महताब द्वारा छोड़ी गई सम्पति की चांदीबाई एकमात्र वारिस हैं। वादीगण मृतक महमूद के पुत्र नही होने से विवादित जायदाद में वादीगण का हित निहित नहीं हैं।

वादपत्र की कलम नं0 4 अस्वीकार हैं। वादपत्र की कलम नं0 4 में वर्णित कृर्षि भूमि ग्राम जलीन्द्री में स्थित होना स्वीकार हैं। यह गलत है कि विवादित में वादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सां व वादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सां हैं। वादीगण महमूद पिता महताब की संताने नही हैं। प्रतिवादी संख्या 1 महमूद की एकमात्र संतान हैं। महमूद पिता महताब की मृत्यु 20 साल पूर्व हो चुकी हैं। सक्षम अथोरिटी ने महमूद की कृषि भूमि का नामन्तरकरण मु0 चॉन्दीबाई के पुत्री होने से तस्दीक किया हैं। नामान्तरकरण को लम्बे अंतराल तक सक्षम न्यायालय और ऑथोरिटी के सामने चुनौती नही दी हैं। वादीगण ने फर्जी तस्दीके प्राप्त कर विवादीत भूमि हड़पने का असफल प्रयास किया हैं। विवादित भूमि में वादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा हैं। वादीगण बिजौलियां निवास करते हैं। वादीगण ने विवादित भूमि को आंखो से देखा तक नही हैं। प्रतिवादी नं0 1 मृतक महमूद के जीवनकाल और मृत्यु उपरान्त काबिज होकर काश्त व भूगत–भोग करती चली आ रही थी। राजस्व अभिलेखों में मु0 चान्दीबाई निर्बाध रूप से खातेदार अंकित होते चली आ रही थी। उत्तरदाता प्रतवादीया ने राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया विवादीत भूमि दिनांक 10.10.05 को बिल एवज 80000/– रूपये में क्रय की स्टाम्प व पंजीयन शुल्क अदा किया उत्तरदाता प्रतिवादीया दिनांक 10.10.05 से साधेकार काबीज होकर काश्त व भूगतभोग करती चली आ रही हैं। उत्तरदाता प्रतिवादीयां विवादित भूमि की बोनाफाइड परचेजर फोर वैल्यू विध आउट नोटिस हैं।

वादपत्र की कलम नं0 5 अस्वीकार हैं। यह गलत है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने बिना अधिकार और कब्जे के महमूद की भूमि किसी से कुसंयोजन कर खातेदारी अंकित करा ली यह भी गलत हैं। कि नामान्तरकरण खोलने में किसी प्रकार की हेराफेरी की। नामान्तरकरण सन् 1986 में खोला गया हैं। वादीगण ने नामान्तरकरण को चुनौती नही दी। नामान्तरकरण के समय भी वादीगण ने राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी करने का असफल प्रयास किया था अब भी वादीगण अक्षम व्यक्तियों से फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त कर विवादीत भूमि में महमूद का पुत्र बनकर हक प्राप्त करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। प्रतिवादिया नं0 1 महमूद की वैधानिक उत्तराधिकारी होने से विवादित भूमि का नामान्तरकरण किया गया। उत्तरदाता प्रतिवादिया ने बडी रकम खर्च कर विवादित भूमि क्रय की वादीगण विक्रय को निष्प्रभावी अप्रभावी बनाने के लिए वादपत्र प्रार्थनापत्र पेश कर रहे हैं।

वादपत्र की कलम नं0 6 में वर्णित यह तथ्य स्वीकार है कि दिनांक 10.10.05 को प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित भूमि उत्तरदाता प्रतिवादिया को विक्रय की यह गलत हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 विवादित भूमि की कागजी खातेदार हैं। प्रतिवादी संख्या 1 महमूद की पुत्री हैं। विवादीत भूमि की वास्तविक खातेदार थी विधि अनुकूल राजस्व अभिलेखों में प्रविष्ठियां होती रही हैं। यह गलत है कि विक्रय दिनांक 10.10.05 अवैध व मूलतः शून्य प्रभावी हैं। उत्तरदाता प्रतिवादी सद्भावी क्रेता हैं। प्रतिवादीया ने वादीगण को काश्त व भूगत भोग करते कभी नही देखा यह गलत हैं कि प्रतिवादीयां संख्या 1 का कभी कब्जा नही रहा हो खातेदारी गलत प्राप्त की हो 20 साल तक वादीगण नींद निकालते रहे प्रतिवादीयां ने भूमि क्रय की फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर वैधानिक अधिकारो की

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 04 पर

जानकारी हुई यह गलत हैं कि राजस्व अभिलेखों में हेरा फेरी की गई हैं। वादीगण को विक्रय पत्र दिनांक 10.10.05 को निरस्त कराने के लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए विक्रय पत्र से वादीगण को किसी प्रकार के हक का हनन नहीं हुआ हैं। वाद पत्र चलने योग्य नहीं हैं।

वादपत्र की कलम.नं0 7 अस्वीकार है वादीगण को महमूद का पुत्र व हकदार होने के लिए सक्षम न्यायालय से उताराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। उतराधिकारी प्रमाण पत्र के अभाव में वादीगण को वादपत्र लाने का अधिकार नही हैं।

वादपत्र की कलम नं0 8 अस्वीकार हैं। वादपत्र की कलम नं0 8 अन्य कलमों में लिखे गये मनगढ़त तथ्यों का बार बार दोहरान मात्र हैं। वादीगण महमूद के पुत्र नही हैं। वादीगण को किसी प्रकार के हक नही मिले हैं। वादीगण का कभी कब्जा नही रहा हैं। वादीगण के वैधानिक अधिकार नही हैं। वादीगण विवादित भूमि के कभी खातेदार नही रहे हैं। भविष्य में भी खातेदार होने की कतई संभावना नही हैं। प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार थी। कब्जेधारी थी। वर्तमान में उत्तरदाता प्रतिवादियां सद्भावी क्रेता व कब्जेधारी होकर वास्तविक खातेदार हैं। खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा विधि एवं न्याय संगत नही हैं। क्रेता को राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियां कराने का अधिकार हैं। विवादित भूमि सन् 1986 से राजस्व अभिलेखों में चांदीबाई के नाम पर अंकित चली आ रही हैं वादीगण को किसी प्रकार का नुकसान नही हुआ। वादीगण का विवादित भूमि पर कभी कब्जा नही रहा। बेदखल किये जाने का कभी प्रश्न ही उत्पन्न नही होता हैं। वास्तविक खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा कानून के मापदण्डों के विपरीत होगी। राजस्व अभिलेखों में कभी हेरा फेरी नही हुयी हैं। न अब हेरा फेरी होने की सम्भावना हैं। स्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से उतरदाता का कब्जा हटाया जाना विधि एवं न्याय संगत नही हैं।

वादपत्र की कलम नं0 9 अस्वीकार हैं। विस्तृत जवाब दिया जा चुका हैं। वादीगण महमूद के पुत्र नही हैं। विवादित भूमि में अधिकार निहित नही हैं। वादपत्र लाने का अधिकार नही हैं। अधिकारों का हनन नही हुआ हैं। वादकारण न पैदा हुआ न जारी हैं। उत्तरदाता प्रतिवादीगण ने भारी रकम खर्च कर भूमि क्रय की हैं भूमि को क्यों कर नष्ट करेंगी।

वादपत्र की कलम नं0 10 अस्वीकार हैं। विक्रय पत्र दिनांक 10.10.05 निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में वादीगण को चाराजोही करनी चाहिए।

वादपत्र की कलम नं0 11 अस्वीकार हैं। वादपत्र अन्दर अवधि पेश नही किया। समयावधि में नामान्तरण की अपील नही की हैं। मु0 चॉदी का निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक साधिकार खुले रूप में वादीगण की जानकारी में विवादित भूमि पर 12 वर्ष से अधिक अवधि से कब्जा काश्त चला आ रहा था। वादपत्र अन्दर अवधि नही हैं।

वादपत्र की कलम नं0 13 अस्वीकार हैं। वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं। अतः वादीयागण का वादपत्र खारीज फरमाया जावें।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से लिखित बहस पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने ग्राम जलीन्द्री की जमाबन्दी संवत् 2028 से 2031 पेश की जो EX-1 हैं, ग्राम जलीन्द्री की जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 पेश की जो EX-2 हैं, नामान्तकरण सं. 339 ग्राम जलीन्द्री पेश की जो EX-3 हैं, ग्राम जलीन्द्री की जमाबन्दी संवत् 2041 से 2044 पेश की जो EX-4 हैं,

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रतिवादी ने ग्राम बिजौलियां की जमाबन्दी संवत् 2047 से 2050 पेश की जो EXD-1 हैं, ग्राम बिजौलियां की जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 पेश की जो EXD-2 हैं, ग्राम बिजौलियां की जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 पेश की जो EXD-3 हैं, ग्राम जलीन्द्री की जमाबन्दी संवत् 2028 से 2031 पेश की जो EXD-4 हैं, ग्राम जलीन्द्री की जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 पेश की जो EXD-5 हैं, दिनांक 24.05.2019 को जारी तस्दीक प्रमाण पत्र ग्रा0पं0 बिजौलियां कलां पेश किया जो EXD-6 हैं एवं दिनांक 10.10.2005 के विक्रय पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की हैं।

वादपत्र व जवाबदावा के तथ्यो के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई ।

लगातार पेज संख्या 05 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियॉ जि.-भीलवाड़ा

तनकी नं0 1 – आया महमूद पिता श्री महताब मुसलमान की वादीगण तथा प्रतिवादीया न0 1 संतान है ?

..... जिम्मे वादीगण

तनकी नं0 2 – आया मुस्लिम विधि अनुसार वादीगण को महमूद की सम्पति में उतराधिकार है प्रतिवादीया सं0 1 को अधिकार नहीं है ?

.....जिम्मे वादीगण

तनकी नं0 3 – आया वादीगण विवादीत भूमि के उतराधिकारी है ?

.....जिम्मे वादीगण

तनकी नं0 4 – आया विवादीत भूमि प्रतिवादीया सं0 1 ने विधि विरूद्ध अपने नाम करा ली जो वादीगण के मुकाबले शून्य प्रभावी है प्रतिवादी सं0 02 को दिनांक 10.10.05 जो प्रतिवादी सं0 1 द्वारा किया विक्रय शुन्य प्रभावी है ?

.....जिम्मे वादीगण

तनकी नं0 5 – आया वादीगण विवादीत भूमि की खातेदारी प्राप्त कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?

.....जिम्मे वादीगण

तनकी नं0 6 – आया प्रतिवादीया नं0 1 महमूद की एक मात्र संतान है हल्का पटवारी ग्राम पंचायत को वंशावली का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है ?

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 7 – आया प्रतिवादी सं0 2 विवादीत भूमि की सद्भाव क्रेता है ?

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 8 – आया विक्रयपत्र दिनांक 10.10.05 को निरस्त करने का न्यायालय को क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार नहीं है ?

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 9 – आया वाद पत्र अंदर मियाद नहीं है ?

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 10 – आनुतोष क्या होगा ?

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

शहादत वादी में वादीगण ने पीडब्ल्यू 1 गन्नी खां उर्फ अब्दुलगनी पिता महमूद जाति मुसलमान उम्र बालिग निवासी बिजौलियां, पीडब्ल्यू 2 मांगीलाल पिता कल्लू जी हेला मुसलमान नि0 बिजौलियां एवं पीडब्ल्यू 3 मकबूल पिता अली खां जाति मुसलमान नि0 बिजौलियां के बयान कराये जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

शहादत प्रतिवादी में प्रतिवादीगण ने डी–डब्ल्यू 1 सीताराम पिता उदा कराड़ नि0 जलिन्द्री, डी–डब्ल्यू 2 रणजीत सिंह पिता अर्जुनसिंह राजपूत नि0 जलिन्द्री एवं डी–डब्ल्यू 3 कैलाश पिता कालू कराड़ नि0 जलिन्द्री के बयान कराये जाकर शामिल पत्रावली क़िये गये।

वादीगण द्वारा अन्य कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत वादी बंद की गई।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता वादी ने बताया की मौजा जलीन्द्री स्थित कृषि खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 957 रकबा 2 बिस्वां गे.मू. चाह व खसरा नम्बर 958 रकबा 8 बीघा 07 बिस्वां कुल किता 2 रकबा 8 बीघा 09 बिस्वां को प्रतिवादीया क्रमांक 1 की खातेदारी से हटायी जाकर वादीगण की खातेदारी में अभिलिखित किये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमायी जावे व प्रतिवादीया नम्बर दो के खाते में दौराने प्रकरण वादग्रस्त जायदाद दर्ज हो जाने की स्थिति में उसकी खातेदारी समाप्त करायी जावें। एवं वादीगण को वादग्रस्त जायदाद का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें। प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 को वादीगण के कब्जे व स्वामित्व की वादग्रस्त जायदाद से अतिचार नही करने भूमि को नष्ट प्रायः नही करने वादीगण को वादग्रस्त जायदाद पर काश्त करने से नही रोकने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। तथा अधिवक्ता प्रतिवादी ने बताया कि मृतक महमूद पिता महताब

लगातार पेज संख्या 06 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

द्वारा छोड़ी गई सम्पति की चांदी एकमात्र वारिस हैं। वादीगण मृतक महमूद के पुत्र नही होने से विवादित जायदाद में वादीगण का हित निहित नहीं हैं। वादीगण ने फर्जी तस्दीके प्राप्त कर विवादीत भूमि हड़पने का असफल प्रयास किया हैं। विवादित भूमि में वादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा हैं। वादीगण बिजौलियां निवास करते हैं। वादीगण ने विवादित भूमि को आंखो से देखा तक नही हैं। प्रतिवादी नं0 1 मृतक महमूद के जीवनकाल और मृत्यु उपरान्त काबिज होकर काश्त व भूगत–भोग करती चली आ रही थी। राजस्व अभिलेखों में मु0 चान्दीबाई निर्बाध रूप से खातेदार अंकित होते चली आ रही थी। उत्तरदाता प्रतिवादीया ने राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया विवादीत भूमि दिनांक 10.10.05 को बिल एवज 80000/– रूपये में क्रय की स्टाम्प व पंजीयन शुल्क अदा किया उत्तरदाता प्रतिवादीया दिनांक 10.10.05 से साधिकार काबीज होकर काश्त व भूगतभोग करती चली आ रही हैं। उत्तरदाता प्रतिवादीयां विवादित भूमि की बोनाफाइड परचेजर फोर वैल्यू विध आउट नोटिस हैं। वादीगण का कभी कब्जा नही रहा हैं। वादीगण के वैधानिक अधिकार नही हैं। वादीगण विवादित भूमि के कभी खातेदार नही रहे हैं। भविष्य में भी खातेदार होने की कतई संभावना नही हैं। प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार थी। कब्जेधारी थी। वर्तमान में उत्तरदाता प्रतिवादियां सद्भावी क्रेता व कब्जेधारी होकर वास्तविक खातेदार हैं। खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा विधि एवं न्याय संगत नही हैं। क्रेता को राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियां कराने का अधिकार हैं। विवादित भूमि सन् 1986 से राजस्व अभिलेखों में चांदीबाई के नाम पर अंकित चली आ रही हैं वादीगण को किसी प्रकार का नुकसान नही हुआ। वादीगण का विवादित भूमि पर कभी कब्जा नही रहा। बेदखल किये जाने का कभी प्रश्न ही उत्पन्न नही होता हैं। वास्तविक खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा कानून के मापदण्डों के विपरीत होगी। राजस्व अभिलेखों में कभी हेरा फेरी नही हुयी हैं। न अब हेरा फेरी होने की सम्भावना हैं। स्थायी निषेधांज्ञा के माध्यम से उतरदाता का कब्जा हटाया जाना विधि एवं न्याय संगत नही हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी की बहस पर मनन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तनकी वाईज विवेचन निम्न प्रकार हैं।

<u>तनकी नं0 1 –</u> आया महमूद पिता श्री महताब मुसलमान की वादीगण तथा प्रतिवादीया न0 1 संतान है ?

..... जिम्मे वादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर हैं। वादीगण ने महमूद पिता मेहताब हेला मुसलमान की सन्तान होने के सम्बन्ध में सिद्ध कराने के लिए ऐसा कोई भी दस्तावेज सक्षम न्यायालय से कोई उतराधिकारी प्रमाण पत्र पेश नहीं किया हैं। पत्रावली में जमाबन्दी की नकल संवत् 2041 से 2044 तक पेश हैं जो प्रदर्श– 4 हैं। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का विरासत से उतराधिकारी के रूप में चांदी पिता महमूद का नाम दर्ज हैं। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती हैं।

<u>तनकी नं0 2 –</u> आया मुस्लिम विधि अनुसार वादीगण को महमूद की सम्पति में उतराधिकार है प्रतिवादीया सं0 1 को अधिकार नहीं है ?

.....जिम्मे वादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर हैं। वादीगण ने महमूद पिता मेहताब हेला मुसलमान की सन्तान होने के सम्बन्ध में मुस्लिम विधि अनुसार कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य पेश नही किया हैं। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती हैं।

<u>तनकी नं0 3 –</u> आया वादीगण विवादीत भूमि के उतराधिकारी है ?

.....जिम्मे वादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर हैं। वादीगण ने महमूद पिता मेहताब हेला मुसलमान की सन्तान होने के सम्बन्ध में सिद्ध कराने के लिए ऐसा कोई भी दस्तावेज सक्षम न्यायालय से कोई उतराधिकारी प्रमाण पत्र पेश नहीं किया हैं। पत्रावली में जमाबन्दी की नकल संवत् 2041 से 2044 तक पेश हैं जो प्रदर्श– 4 हैं। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का विरासत से उतराधिकारी के रूप में चांदी पिता महमूद का नाम दर्ज हैं। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती हैं।

लगातार पेज संख्या 07 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

तनकी नं0 4 – आया विवादीत भूमि प्रतिवादीया सं0 1 ने विधि विरूद्ध अपने नाम करा ली जो वादीगण के मुकाबले शून्य प्रभावी है प्रतिवादी सं0 02 को दिनांक 10.10.05 जो प्रतिवादी सं0 1 द्वारा किया विक्रय शुन्य प्रभावी है ?

.....जिम्मे वादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर हैं। वादीगण ने महमूद पिता मेहताब हेला मुसलमान की सन्तान होने के सम्बन्ध में सिद्ध कराने के लिए ऐसा कोई भी दस्तावेज सक्षम न्यायालय से कोई उतराधिकारी प्रमाण पत्र पेश नहीं किया हैं। मौजा ग्राम जलिन्द्री स्थित आराजी नम्बर 957, 958 कुल किता 2 रकबा 8–09 बीघा भूमि महमूद पिता मेहताब हेला मुसलमान के नाम पर रेकॉर्ड में दर्ज थी उनकी मृत्यु के बाद एक मात्र उतराधिकारी प्रतिवादी नम्बर 1 होने से उपरोक्त आराजीयात को प्रतिवादी नम्बर 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के नाम विक्रय कर विक्रय का विधिवत पंजीयन कराकर सिपूर्द की हैं। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती हैं।

तनकी नं0 5 – आया वादीगण विवादीत भूमि की खातेदारी प्राप्त कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?

.....जिम्मे वादीगण

यह तनकी भी वादीगण के जिम्मे हैं। जब तनकी नं0 1 के विवेचन में वादीगण को किसी प्रकार के हक प्राप्त करने का अधिकारी नही माना हैं। तथा तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की गयी हैं। जब खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नही है तथा भूमि अपने नाम पर दर्ज रेकॉर्ड ही नही हुयी हैं तो वादीगण किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं। अतः यह तनकी भी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती हैं।

तनकी नं0 6 – आया प्रतिवादीया नं0 1 महमूद की एक मात्र संतान है हल्का पटवारी ग्राम पंचायत को वंशावली का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है ?

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर हैं। हल्का पटवारी ग्राम पंचायत को वंशावली का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि हल्का पटवारी ग्राम पंचायत को साक्ष्य में पेश नही किया गया हैं। पत्रावली पर उपरोक्त वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी की नकल संवत् 2041 से 2044 तक पेश हैं जो प्रदर्श– 4 हैं। जिसमें विरासत से चांदी पिता महमूद का नाम दर्ज हैं। अंतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती हैं।

तनकी नं0 7 – आया प्रतिवादी सं0 2 विवादीत भूमि की सद्भाविक क्रेता है ?

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 पर हैं। प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 से उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात को क्रय करने का पंजीयन दस्तावेज रजिस्ट्री पेश की हैं जो प्रदर्श– डी–7 हैं। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 चान्दीबाई ने दिनांक 10.10.2005 को प्रतिवादी संख्या 2 को विधिवत् विक्रय कर विक्रय पत्र का पंजीयन कराया हैं। इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 सदभावी क्रेता हैं। अतः यह तनकी प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में तय की जाती हैं।

तनकी नं0 8 – आया विक्रयपत्र दिनांक 10.10.05 को निरस्त करने का न्यायालय को क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार नहीं है ?

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

विक्रयपत्र दिनांक 10.10.05 को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता हैं। राजस्व न्यायालय को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार नही हैं। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती हैं।

तनकी नं0 9 – आया वाद पत्र अंदर मियाद नहीं है ?

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकीयात कायम की गयी किन्तु मियाद में होने का प्रतिवादीगण ने ऐसे कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य पेश नही किये हैं।

लगातार पेज संख्या 08 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

तनकी नं0 10 – अनुतोष क्या होगा ?

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

उपरोक्त तनकीयात में से 9 तनकीयात के विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण के पक्ष में तय हुयी जिससे वादीगण का वादपत्र खारिज किये जाने योग्य हैं।

उक्तानुसार तनकीयात के निर्णय के आधार पर वादीगण महमूद पिता मेहताब हेला मुसलमान के उतराधिकारी सन्तान नहीं होने से वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नंही हैं।

आदेश

अतः प्रस्तुत वादपत्र वादी अर्न्तगत **धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादीगंण विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता हैं। डिक्री मुर्तिब की जावें। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 17/12/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

17/12/20

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा